भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2096
उत्तर देने की तारीख-19.03.2025

'पीएम श्री' पहल का कार्यान्वयन

2096 श्रीमती रंजीत रंजन:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 'पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' (पीएम श्री) योजना की घोषणा के बाद से इन स्कूलों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है;
(ख) इस पहल के तहत उन्नयन किए जाने के लिए स्कूलों का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और
(ग) चयनित स्कूलों के लिए शैक्षिक गुणवत्ता और अवसंरचना में सुधार के संदर्भ में प्रत्याशित परिणाम क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): पीएम श्री योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करते हुए 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी के साथ-साथ 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 12,505 स्कूलों का चयन किया गया है।

(ख): पीएम श्री स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने हेतु सहायता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चयन निश्चित समय सीमा के साथ तीन-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो निम्नानुसार है: -

चरण-1: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें पीएम श्री स्कूलों के रूप में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों को सहायता करने की प्रतिबद्धताएं निर्धारित की जाती हैं।

चरण-2: इस चरण में, यूडाइज+ डेटा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर पीएम श्री स्कूलों के रूप में चयन के लिए पात्र स्कूलों के समूह की पहचान की जाती है।

ये बेंचमार्क नवीनतम डेटा के आधार पर यूडाइज+ पोर्टल से स्वचालित रूप से भरे जाते हैं। स्कूल द्वारा पूरे किए जाने वाले न्यूनतम बेंचमार्क निम्नानुसार हैं:

i. स्कूल के पास अच्छी स्थिति वाला अपना पक्का भवन होना चाहिए।
ii. बाधा रहित पहुंच-रैंप।
iii. स्कूल को सुरक्षा उन्मुख होना चाहिए।
iv. प्रारंभिक (कक्षा 1-5/1-8) स्तर और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 6-12/6-10/1-10/1-12) स्तर में छात्रों का नामांकन, श्रेणी के लिए राज्य औसत नामांकन से अधिक होना चाहिए।
v. स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय होना चाहिए।
vi. स्कूल में पीने योग्य पेयजल की सुविधा होनी चाहिए।
vii. स्कूल में अलग से हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।
viii. सभी शिक्षकों के पास मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।
ix. चालू स्थिति में विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए।
x. स्कूल में पुस्तकालय/लाईब्रेरी कार्नर की सुविधा और खेल उपकरण होने चाहिए।

चरण-3: यह चरण कुछ मानदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति पर आधारित है। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। शर्तों की पूर्ति को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक निरीक्षण के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला स्तर पर सत्यापन के बाद स्कूलों की सूची स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय को भेजने की सिफारिश करनी होती है तथा चुनौती पद्धति के माध्यम से अंतिम स्कूल चयन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

(ग): पीएम श्री योजना का उद्देश्य पीएम श्री स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता, अवसंरचना और छात्र परिणामों को बढ़ाना है। लर्निंग एनरिचमेंट प्रोग्राम (एलईपी) जैसी गतिविधियाँ कक्षा 6-12 में छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी शिक्षार्थी आवश्यक योग्यता स्तरों को प्राप्त करते हैं। शैक्षणिक कौशल को बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित नियमित शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। योग्यता-आधारित मूल्यांकन और समग्र रिपोर्ट कार्ड की शुरूआत छात्रों का एक समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय अविष्कार अभियान जैसे कार्यक्रम विज्ञान और गणित मंडलों, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा मेंटरिंग और एसटीईएम शिक्षा में रूचि पैदा करने के लिए एक्सपोज़र विजिट के माध्यम से नवीन शिक्षण को प्रोत्साहित करते हैं।

बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, पीएम श्री स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान का प्रावधान है। इसके अलावा, अटल टिंकरिंग लैब्स और स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल लर्निंग टूल आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा का समर्थन करते हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास पर्यावरण के अनुकूल "ग्रीन स्कूल" बनाते हैं।

*****